सं0- 26/2016/923/62-2-2016-2/3(05)/2015टी0सी0

प्रेषक,

भरत लाल राय,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 29 मार्च,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कतिपय मानक मदों में आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-337/ल0सिं0/बजट-आयोजने0 पुर्न0/2015-16, दिनांक 11.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03मंहगाई भत्ता में हो रही बचतों की धनराशि रू0-3106.44 लाख में से 2702-लधु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-लघु सिंचाई योजना-विघुत देय हेतु रू0-13.23 लाख तथा 17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व हेतु रू0-51.70 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-64.93 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9) के अनुसार संक्रमित कर व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर- 80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-मंहगाई भत्ता से पुनर्विनियोजित कर उक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत मानक व्मद 09-विघुत देय तथा 17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के यू0ओ0ई0-2-279/दस-2016, दिनांक 28.03.2016 के क्रम में जारी किय जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(भरत लाल राय)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-26/2016/923(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-156)
वित्तीय वर्ष 2015-16

(हजार रूपये में)

अनुदान संख्या का नाम:-13-लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश।

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना					
03-मंहगाई भत्ता	1207696	310644	6493	6493	1201203
योग-	1207696	310644	6493	6493	1201203

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुंल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लघु सिंचाई योजना					
09-विघुत देय	3000	4323	1323	1323	4323
17-किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	2000	7170	5170	5170	7170
योग-	5000	11493	6493	6493	11493

(1) स्त्म्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
विभागीय आवश्यकता के अनुसार

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

यू0ओ0-ई-2-279/दस-16, दिनांक 28.3.2016
संख्या-आरई0678/ दिनांक 28 मार्च,2016
सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0 प्र0 इलाहाबाद

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम-(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।
प्रशासकीय विभाग-लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
उ0 प्र0 शासन।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम-
वित्त विभाग-

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-923/62-2-2016-2/3(05)/2015टीसी, दिनांक 29 मार्च,2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2-संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0्प्र0।
3-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(तीन प्रतियों में)

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम-(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।
प्रशासकीय विभाग-लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
उ0 प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।